करण कपूर,

बनाम

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 4645/2022

उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.04.2021 से दिल्ली के न्यू दिल्ली आरएफए नं. 218/2021 निर्णय पारित की गई ।

जे.के. माहेश्वरी. न्यायाधीश ।

स्वीकृत किया गया ।

2. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2021 की नियमित प्रथम अपील संख्या 218 (इसके बाद '2021 की आरएफए संख्या 218 के रूप में संदर्भित) में अपीलकर्ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2021 से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत कहा गया है आरएफए को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने 2018 के सिविल सूट नंबर 867 में पारित आदेश दिनांक 01.12.2020 और एडीजे–07, साकेत कोर्ट, (दक्षिण पूर्व) नई दिल्ली द्वारा पारित 2018 के सिविल सूट नंबर 867 में दिनांक 17.02.2021 के समीक्षा आदेश को बरकरार रखा।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या बी–228 के स्वामित्व वाली ए ग्राउंड फ़्लोर, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048 आवासीय संपत्ति में किरायेदार था, , जिसमें इमारत के स्टिल्ट हिस्से में निर्मित क्षेत्र (बाद में 'सूट प्रॉपर्टी' के रूप में संदर्भित) शामिल है, जिसमें ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, एक फ़ोयर, संलग्न बाथरूम के साथ चार बेडरूम, रसोईघर, लाउंज शामिल हैं। , सेवा क्षेत्र और आम बाथरूम और दो कारों के लिए पार्किंग के साथ एक नौकर क्वार्टर।

*प्रतिवादी– मकान मालिक ने अपीलकर्ता, अर्थात् मैसर्स की स्वामित्व कंपनी के साथ दिनांक 07.08.2011 को एक पट्टा समझौता किया। फ़ैंटेसी लाइट्स, दिनांक 07.08.2011 से 07.08.2013 तक 24 महीने की अवधि के लिए रु. 1.17,000/– के मासिक किराये पर और रु. 3,51,000/– की ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि (केवल तीन लाख इक्यावन हजार) लीज समझौते के निष्पादन के समय अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किया गया था।

*लीज समझौते की समाप्ति के बाद, 11 महीने की अगली अवधि के लिए एक विस्तारित लीज समझौता 07.08.2013 को 1,50,000/– रुपये प्रति माह के किराए की दर पर निष्पादित किया गया था जो 06.07.2014 को समाप्त होना था। पहले भुगतान की गई सुरक्षा जमा राशि को दिनांक 07.08.2013 के लीज समझौते के लिए ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा के रूप में भी बरकरार रखा गया था।

4. अपीलकर्ता किरायेदार ने 07.07.2014 से विस्तारित लीज समझौते दिनांक 06.07.2014 की समाप्ति के बाद कोई किराया नहीं दिया और सूट संपत्ति पर कब्जा जारी रखा। प्रतिवादी मकान मालिक द्वारा दिनांक 12.04.2018 को एक कानूनी नोटिस दिया गया था।

अपीलकर्ता ने उसे सूट संपत्ति खाली करने के लिए बुलाया। हालाँकि, उसके बाद भी, न तो सूट की संपत्ति खाली की गई, न ही किराए का भुगतान किया गया, जिसके कारण प्रतिवादी/ वादी को कब्ज़ा, बकाया किराया, मेस्ने प्रॉफिट, पेंडेंट लाइट और ब्याज की वसूली के लिए 2018 का सिविल सूट नंबर 867 एडीजे–07, साकेत कोर्ट, (दक्षिण पूर्व), नई दिल्ली में दायर करना पड़ा। अपीलकर्ता/ प्रतिवादी ने एक लिखित बयान दायर किया जिसमें कहा गया कि दिनांक 07.08.2013 को लीज समझौते की समाप्ति के बाद, प्रतिवादी/ वादी ने उनसे संपर्क किया था और सूट संपत्ति में अधिकार, शीर्षक और ब्याज को आगे बढ़ाने की पेशकश की थी, जिसमें से बेचने का समझौता दिनांक 22.04.2017 (इसके बाद 'एटीएस– I' के रूप में संदर्भित) को पार्टियों के बीच 3,60,00,000/– रुपये (केवल तीन करोड़ और साठ लाख) की राशि के लिए निष्पादित किया गया था और यह कथित तौर पर इस बात पर सहमति हुई कि वर्ष 2014–2017 के लिए अर्जित किराया उक्त बिक्री समझौते में समायोजित किया जाएगा। अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि एटीएस– I के निष्पादन के अलावा, वह बेचने के समझौते के माध्यम से 15 लाख रुपये के विचार के लिए प्रतिवादी के पक्ष में अमलोह में स्थित भूमि के एक भूखंड का अधिकार, शीर्षक और हित हस्तांतरित करने पर भी सहमत हुआ (*एटीएस– II) जो आंशिक रूप से एटीएस– I के बिक्री विचार के दायित्वको पूरा करेगा। इसके अलावा, लिखित बयान में इसका उल्लेख किया गया था कि बिक्री के लिए एक नए समझौते ('एटीएस– III) के परिणामस्वरूप विषय संपत्ति के लिए देय प्रतिफल में कुछ समायोजन किए गए थे, जिसे निष्पादित किया गया था।

5. 2018 के सिविल सूट नंबर 867 में अपीलकर्ता/ प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में दिए गए कथनों के मद्देनजर, प्रतिवादी/ वादी ने आदेश XII नियम 6 एवं आदेश XXXIX नियम 10 सी0 पी0 सी के तहत आवेदन दायर किया (सीपीसी को संक्षिप्त)। प्रक्रिया लिखित विवरण में तथ्यों की स्वीकृति पर निर्णय पारित करने और तदनुसार डिक्री निकालने की प्रार्थना की।

6. ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी/ वादी का तर्क यह था कि मकान मालिक– किरायेदार रिश्ते के संबंध में की गई स्वीकारोक्ति पर गौर किया जाए। किराये की दर और लिखित बयान में अपीलकर्ता/ प्रतिवादी द्वारा लिया गया बचाव दिखावटी है, क्योंकि किसी भी प्रतिफल का आदान– प्रदान नहीं किया गया था, जबकि दूसरी ओर, अपीलकर्ता/ प्रतिवादी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी/ वादी ने एटीएस–1, II और III के अस्तित्व के संबंध में भौतिक तथ्यों को छुपाया है। हालांकि दो लीज समझौते दिनांक 07 08 2011 और दिनांक 07 08 2013 को अस्वीकार नहीं किया गया था। यह केवल प्रतिवादी/ वादी द्वारा विस्तारित लीज समझौते की अवधि की समाप्ति पर कहा गया था! अपीलकर्ता/ प्रतिवादी से संपर्क किया और सूट संपत्ति बेचने की पेशकश की। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि, अर्जित किराए की कोई मांग नहीं की गई थी क्योंकि पार्टियों के बीच यह सहमति हुई थी कि किराये की राशि को एटीएस में समायोजित किया जाएगा, जिसके आगे एटीएस दिनांक 22.04 2017 को प्रतिवादी/ वादी द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया था जो सूट संपत्ति के संबंध में हैं प्रतिवादी/अपीलकर्ता प्रतिफल के रूप में 3.60.00.000 रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। अपीलकर्ता/ प्रतिवादी द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष यह भी तर्क दिया गया कि पहले 47 करोड़ रुपये पर विचार के लिए सहमति व्यक्त की गई थी, हालांकि, भुगतान के बाद एटीएस 1 पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रतिवादी को भारी मात्रा में पैसा मिला एवं प्रतिफल को घटाकर 3.6 करोड़ रुपये कर दिया गया, इसके बाद 22.05.2017 को बिक्री के दूसरे समझौते पर अमलोह में स्थित संपत्ति में अपीलकर्ता के अधिकार, शीर्षक और ब्याज को प्रतिवादी

के प्रतिनिधियों को हस्तांतरित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए। 15,00,000 रुपये (केवल पंद्रह लाख) की राशि जिसे प्रतिवादी को देय 36 करोड़ रुपये के विचार में समायोजित किया जाना था। दिनांक 30.12.2017 को बेचने का तीसरा समझौता उपरोक्त समायोजन के परिणामस्वरूप पार्टियों के बीच निष्पादित किया गया था। अपीलकर्ता/ प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष यह भी तर्क दिया कि सूट संपत्ति खरीदने के लिए 1.7 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिए इलाहाबाद बैंक से संपर्क किया गया था, लेकिन प्रतिवादी ने / वादी ने इनकार कर दिया

7. ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया और दिनांक 01.12.2020 के आदेश के पैरा 17 में दर्ज किया कि कुछ निर्विवाद तथ्य हैं। वे हैं:

(ए) वादी का मुकदमे की संपत्ति का पूर्ण स्वामी होना विवादित नहीं है;

(बी) वाद संपत्ति की पहचान विवादित नहीं है;

(सी) वादी और मेसर्स फैंटेसी लाइट्स के बीच दो साल की अवधि के लिए 1,17,000/– रुपये प्रति माह की दर से लीज समझौते का निष्पादन दिनांक 07.08.2011 विवादित नहीं है;

(डी) प्रतिवादी द्वारा वादी को भुगतान की गई रु. 3,50,000/– की ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि विवादित नहीं है;

(ई) वादी और प्रतिवादी के बीच 1,50,000/– रुपये प्रति माह की दर से 11 महीने के लिए दिनांक 07.08.2013 को लीज समझौते का निष्पादन भी विवादित नहीं है;

(एफ) यह विवादित नहीं है कि जुलाई 2014 से कोई किराया नहीं दिया गया है, हालांकि उक्त किराए के भुगतान के संबंध में कुछ बचाव किए गए हैं;

(जी) दिनांक 12.04.2018 को प्रतिवादी को कब्ज़ा सौंपने के लिए बुलाए गए कानूनी नोटिस को जारी करना और उसकी प्राप्ति भी विवादित नहीं है।

8. उपरोक्त स्वीकृतियों से निपटने के अलावा, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा लिखित बयान में दिए गए प्रत्येक बचाव से भी निपटा और देखा: (i) एटीएस– । दिनांक 22.04.2017 के बदले में अपीलकर्ता/ प्रतिवादी ने किसी भी राशि का उल्लेख नहीं किया है जो उसके द्वारा बयाना के रूप में भुगतान किया गया है। यह न्यायालय की समझ से परे है कि अपीलकर्ता को बयाना के रूप में भुगतान की गई राशि के सटीक आंकड़ों का उल्लेख करने से किसने रोका; (ii) प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई राशि की मात्रा दिखाने के लिए अपीलकर्ता/ प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज नहीं रखा गया था, इस प्रकार बिना किसी प्रतिफल के निष्पादित एटीएस– । का कोई महत्व नहीं है; (iii) अमलोह संपत्ति के संबंध में एटीएस– II भी दायर किया गया है और उपरोक्त कारणों से इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है; (iv) बेचने के लिए कोई भी मूल समझौता दाखिल नहीं किया गया है; (v) यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि भले ही प्रतिफल का आदान– प्रदान किया

गया हो, क्रेता तब तक संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता और किरायेदार– मकान मालिक का रिश्ता नहीं बन सकता, जब तक कि पंजीकृत बिक्री विलेख उसके पक्ष में बेचने का समझौता निष्पादित नहीं हो जाता।

9. उपरोक्त स्वीकारोक्ति पर भरोसा करते हुए ट्रायल कोर्ट ने निर्णय और डिक्री पारित की, जिसमें प्रतिवादी/ वादी, पीड़ित अपीलकर्ता/ प्रतिवादी के पक्ष में सूट संपत्ति के संबंध में कब्जे की डिलीवरी के लिए आदेश XII नियम 6 सीपीसी के तहत आवेदन की अनुमति दी गई, जिसने दिनांकित 01.12.2020 के आदेश की समीक्षा की मांग की। जिसमें ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 17.02.2021 के आदेश के तहत इसे खारिज कर दिया।

10 अपीलकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित प्रथम अपील संख्या 218/2021 को प्राथमिकता दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2020 और समीक्षा आदेश दिनांक 17.02.2021 को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने अपना मामला रखा था कि बिक्री के उपरोक्त तीन समझौतों के संबंध में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा लंबित है, जिसमें उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने आगे दिए गए फैसले में कहीं भी इस पर विचार नहीं किया है। अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि सीपीसी के **आदेश XII नियम 6** के तहत विवेक का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी को कब्जे की डिक्री देने का निर्णय पारित करने के लिए अपने लिखित बयान में कोई स्पष्ट प्रवेश नहीं किया गया था। अंत में, यह तर्क दिया गया कि बिक्री विलेख को पंजीकृत करने की पंजीकरण अधिनियम की धारा 171(2) के अंतर्गत आवश्यकता नहीं है।

11. उच्च न्यायालय ने दिनांक 08:04 2021 के आदेश के तहत अपील को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 17.02.2021 में नोट किया है कि मकान मालिक–किरायेदार के संबंध और अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किए गए किराए के संबंध में स्पष्ट स्वीकारोक्ति हुई है। इसके अलावा, अपीलीय अदालत ने तथ्यों को स्वीकार करने के लिए ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि स्वीकारोक्ति के निष्कर्षों को अपीलकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, जो वाद की संपत्ति पर कब्जे की डिक्री देने के लिए पर्याप्त है। आगे उच्च न्यायालय ने कहा कि यह कानून में स्थापित है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा ट्रायल कोर्ट के लिए मकान मालिक– किरायेदार संबंधों के आधार पर कब्जे के लिए मुकदमा तय करने के लिए आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं है। अंत में, अचल संपत्ति का एक **एटीएस** जहां, अपेक्षित स्टांप शुल्क का भुगतान करने के बाद पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा ही परिसर का कब्ज़ा आंशिक निष्पादन में दिया जाना संभव हो सकता है। उच्च न्यायालय ने उक्त टिप्पणियों के साथ नियमित प्रथम अपील को खारिज कर दिया, जिसे अपीलकर्ता ने तत्काल अपील दायर करके चुनौती दी है।

12. अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है कि **श्रीमंत राव सूर्यवंशी बनाम प्रह्लाद भैरोबा सूर्यवंशी 2002 (3) एससीसी 676** के द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार इस न्यायालय द्वारा, मुकदमे की संपत्ति में जो अपने कब्जे में है की रक्षा करने का उसे पूरा अधिकार है।

जैसा कि **एटीएस** के अनुसार अपीलकर्ता के पक्ष में मुकदमे की संपत्ति में हस्तांतरण का अधिकार है और जिस पर प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर विवाद नहीं किया गया है इसलिए अनुबंध स्पष्ट रूप से मुकदमे

की संपत्ति की बिक्री और खरीद के प्रति पार्टियों के इरादे को दर्शाता है। आगे अपीलकर्ता द्वारा कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखे गए मुद्दे विचारणीय मुद्दे थे और ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट को मुकदमे को तुरंत खारिज नहीं करना चाहिए और सीपीसी के आदेश XII नियम 6 के तहत डिक्री पारित नहीं करनी चाहिए, जबकि ट्रायल कोर्ट के बाद भी केवल सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सकती है। अपीलकर्ता का यह भी तर्क है कि जब विक्रेता (मकान मालिक) ने बयाना राशि स्वीकार कर ली तो उसने वास्तव में समझौते के तहत काम किया गया है। **एटीएस** द्वारा प्रदान की गई इस स्वीकृति ने पट्टेदार और पट्टेदार के रिश्ते को समाप्त कर दिया और किरायेदारी समाप्त हो गई।

13. अपीलकर्ता ने **हरि स्टील एंड जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम दलजीत सिंह और अन्य (2019) 20 एससीसी 425** और **हिमानी अलॉयज लिमिटेड बनाम टाटा स्टील लिमिटेड 2011 (15) एससीसी 273** पर भरोसा जताया है और कहा है कि ट्रायल कोर्ट को बचना चाहिए था, यह ध्यान में रखते हुए कि प्रवेश पर निर्णय, परीक्षण के बिना निर्णय है जो योग्यता के आधार पर अपीलकर्ता को किसी भी उपाय से स्थायी रूप से इनकार करता है, इसके अलावा, **कंथिमथी बनाम बीट्राइस जेवियर ने 2000 (9) एससीसी 339** मामले का संदर्भ देकर, प्रतिवादी/वादी के मुकदमे को डिक्री द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना कर दिया गया है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बयाना राशि स्वीकार करके, मकान मालिक/विक्रेता ने वास्तव में समझौते के तहत काम किया है और इस प्रकार मकान मालिक और टीम के बीच संबंध समाप्त हो गया है।

14. प्रतिवादी की ओर से इसके विपरीत, यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता पट्टा विलेख दिनांक 07.08.2011 और विस्तारित पट्टा विलेख दिनांक 07.08.2013 के आधार पर सूट परिसर के कब्जे में आया और किराए के भुगतान के बिना 2014 के बाद से कब्जा जारी रखा है, जो कानून की उचित प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक **क्लासिक** मामला बनता है। यह आग्रह किया गया था कि अपीलार्थी ने ए0 टी0 एस0 के अनुसार कब्ज़ा आगे नहीं बढ़ाया, हालाँकि अपनी कंटेंट को साबित किए बिना उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। आगे तर्क दिया गया कि एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि पार्टियों के बीच निर्विवाद मकान मालिक किरायेदार संबंध है, तो मुकदमा दायर करने से पहले धारा 106 के तहत समाप्ति नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद रसीद प्राप्त की जाएगी। किराया इस प्रकार प्रतिवादी के पास आदेश XII नियम 6 के तहत प्रवेश पर मुकदमा डिक्री करने का प्रथम दृष्टया मामला है। इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 ए के तहत बचाव केवल तभी लागू हो सकता है जब प्रतिफल का आदान– प्रदान किया गया हो जो कि अपीलकर्ता का मामला नहीं है। इसके अलावा विद्वान **सेमोर एच ने नागिनदास रामदास बनाम दलपतराम – 1974 (1) एससीसी 242** पर भरोसा करते हुए सलाह दी है और तर्क दिया गया कि मामले की सुनवाई के समय दलीलों या अदालत की कार्यवाही में स्वीकारोक्ति उच्च आधार पर है और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 58 के अनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य है। इस प्रकार, चर्चा किए गए तथ्यों के प्रकाश में, प्रतिवादी के पास प्रवेश पर निर्णय के लिए एक अच्छा मामला है और निचली अदालतों ने निर्णय पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है।

15 दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया। तथ्यों में तर्कों की सराहना करने और वर्तमान मामले में शामिल विवाद को देखने से पहले, सीपीसी के आदेश X।। को पेश करने के उद्देश्य को जानना आवश्यक है। प्रासंगिक प्रावधानों को यहां क्रमांकित रूप में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

1. **मामले की स्वीकृति की सूचना**:– किसी मुकदमे का कोई भी पक्षकार, इसका दलील या लिखित रूप में नोटिस दे सकता है कि वह दूसरे पक्ष के पूरे मामले या उसके किसी हिस्से की सच्चाई को स्वीकार करता है।

2.**"दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए नोटिस** – कोई भी पक्ष नोटिस की सेवा की तारीख से 7 सात दिनों के भीतर सभी अपवादों को बचाने और स्वीकार करने से इनकार या उपेक्षा के मामले में किसी भी दस्तावेज़ को स्वीकार करने के लिए अन्य भागों को बुला सकता है। इस तरह के नोटिस के बाद, ऐसे किसी भी दस्तावेज़ को साबित करने का शुल्क, पक्ष द्वारा भुगतान किया जाएगा, इसलिए मुकदमे के परिणाम की उपेक्षा या इनकार करना, जब तक कि अदालत अन्यथा निर्देश न दे और किसी भी दस्तावेज़ को सिद्ध करने की कोई **लागत** नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा नोटिस न दिया जाए, सिवाय इसके कि जहां नोटिस देने में चूक करना, न्यायालय की राय में, व्यय की बचत है।

2A. **दस्तावेज़ को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा यदि स्वीकृत दस्तावेज़ों को नोटिस की सेवा के बाद इनकार नहीं किया जाता है:–** कभी भी दस्तावेज़, जिसे किसी पक्ष को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, यदि विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ से, इनकार नहीं किया जाता है या कहा जाता है कि उसकी दलील में स्वीकार नहीं किया गया है, पार्टी या उसके नोटिस के जवाब में दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए उसे किसी व्यक्ति के खिलाफ स्वीकार किया गया माना जाएगा, सिवाय विकलांगता के तहत, बशर्ते कि न्यायालय अपने विवेक से और दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इस प्रकार स्वीकार किए गए किसी भी दस्तावेज की **आवश्यकता** कर सकता है कि वह अन्यथा साबित हो इस तरह की स्वीकारोक्ति द्वारा जहां कोई पक्ष मुवक्किलों को नोटिस की तामील के बाद किसी दस्तावेज़ की अनुचित रूप से उपेक्षा करता है या उसे स्वीकार करने से इनकार करता है, तो न्यायालय उसे क्षतिपूर्ति के रूप में अन्य भागों में लागत लगाने का निर्देश दे सकता है।

3. **नोटिस का फॉर्म**– दस्तावेजों को स्वीकार करने का नोटिस परिशिष्ट सी में फॉर्म नंबर 9 में होगा, जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होंगे।

3 ए. **दाखिले को रिकार्ड करने की न्यायालय की शक्ति**– इस बात के बावजूद कि नियम 2 के तहत दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है, अदालत अपने समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में, अपनी स्वयं की प्रेरणा से, किसी भी पक्ष को, किसी भी दस्तावेज को स्वीकार करने के लिए कह सकती है और ऐसे मामले में, इसे अंकित करें। क्या पार्टी ऐसे दस्तावेज़ को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है या उसे स्वीकार करने की उपेक्षा करती है

4. **कृत्यों को स्वीकार करने के लिए नोटिस –** कोई भी पक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित दिन से नौ दिन पहले किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा किसी अन्य पक्ष को स्वीकार कर सकता है पर केवल सूट के प्रयोजनों के लिए, ऐसे नोटिस में उल्लिखित किसी भी विशिष्ट तथ्य या तथ्यों को स्वीकार करने से इनकार या उपेक्षा के मामले में, ऐसे नोटिस की सेवा के बाद छह दिनों के भीतर, या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो न्यायालय द्वारा अनुमति दी जा सकती है। , ऐसे तथ्य या युक्तियों को साबित करने की लागत का भुगतान, पक्ष द्वारा किया जाएगा, इसलिए मुकदमे का परिणाम जो भी हो, इनकार करने पर उपेक्षा की जाएगी। जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, बशर्ते कि इस तरह के नोटिस के अनुसरण में किसी भी प्रवेश पुरुष को केवल विशेष मुकदमे के प्रयोजनों के लिए किया गया माना जाए, न कि किसी अन्य पक्ष पर या किसी के पक्ष में पार्टी के खिलाफ उपयोग किए जाने वाले प्रवेश के रूप में और न जिस पक्ष ने नोटिस दिया

5. **प्रवेश प्रपत्र :–** तथ्यों को स्वीकार करने का नोटिस परिशिष्ट सी में फॉर्म नंबर 10 में होगा और तथ्यों को स्वीकार करना परिशिष्ट सी में फॉर्म नंबर 1 में होगा, जिसमें आवश्यक बदलाव होंगे।

6. **स्वीकारोक्ति पर निर्णय :–** जहां दलील में तथ्यों की स्वीकारोक्ति अन्यथा की गई है, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में, न्यायालय मुकदमे के किसी भी चरण में या तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर या अपने स्वयं के ऐसे प्रवेशों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर प्रतीक्षा किए बिना कर सकता है। पार्टियों के बीच किसी अन्य प्रश्न के निर्धारण के लिए ऐसा आदेश दें या ऐसा निर्णय दें जो वह उचित समझे। (2) जब भी उप–नियम (1) के तहत कोई निर्णय सुनाया जाता है तो निर्णय के अनुसार एक डिक्री तैयार की जाएगी जिसमें फैसला सुनाया गया तारीख दिया होना चाहिए।

इस प्रकार आदेश XII नियम 1 की योजना यह बताती है कि किसी मुकदमे का कोई भी पक्ष अपनी दलील से, या अन्यथा लिखित रूप से स्वीकार करता है, तो दूसरा पक्ष नोटिस दे सकता है कि वह पूरे मामले या उसके किसी हिस्से को स्वीकार करता है। आदेश XII के नियम 2 के अनुसार दस्तावेज़ों को स्वीकार करने के लिए नोटिस किसी दस्तावेज़ को स्वीकार करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दूसरे पक्ष को दिया जा सकता है और नोटिस के बाद दस्तावेज़ को स्वीकार करने से इनकार या स्वीकार करने की स्थिति में ऐसे दस्तावेज़ को साबित करने की लागत उपेक्षा या इनकार करने वाले पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा, जो न्यायालय के विवेक पर आधारित होगा। नियम 2 ए प्रवेश को अपने आप सक्षम बनाता है, यदि नोटिस के बाद भी दस्तावेज़ से इनकार नहीं किया गया है, उक्त नोटिस को सीपीसी नियम 3 ए के परिशिष्ट सी के फॉर्म नंबर 9 में दिया जाना आवश्यक है, जो न्यायालय को अधिभावी शक्तियाँ प्रदान करता है कि नोटिस के अभाव में भी नियम 2 के तहत किसी दस्तावेज़ को स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है। न्यायालय इस तरह की स्वीकृति को अपने आप रिकॉर्ड कर सकता है। प्रस्ताव या किसी पक्ष को बुलाकर न्यायालय को यह रिकॉर्ड करने की भी शक्ति है कि क्या पक्ष ऐसे दस्तावेज़ को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है या स्वीकार करने की उपेक्षा करता है। आदेश XII का नियम 4 तथ्यों को स्वीकार करने के लिए नोटिस से संबंधित है सुनवाई के लिए नियत दिन से 9 दिन पहले कोई भी पक्ष किसी भी समय लिखित रूप में नोटिस दे सकता है किसी अन्य पक्ष को केवल मुकदमे के प्रयोजनों के लिए स्वीकार करने के लिए कहें। ऐसे नोटिस में उल्लिखित कोई भी विशिष्ट कारक तथ्य, जिसका

उत्तर एक निर्दिष्ट समय के भीतर या इसे स्वीकार करने से इनकार या उपेक्षा के मामले में न्यायालय द्वारा निर्देशित अतिरिक्त समय के भीतर दिया जाना आवश्यक है। ऐसे तथ्य या तथ्यों को साबित करने की लागत पार्टियों द्वारा निर्देशानुसार भुगतान की जाएगी। **2 परंतुक जोड़कर**: यह स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी कार्यवाही में की गई स्वीकृति, यदि कोई हो, उसी कार्यवाही से संबंधित होगी, किसी अन्य कार्यवाही के लिए नहीं। नियम 4 के तहत नोटिस परिशिष्ट सी के फॉर्म नंबर 10 में दिया जाना आवश्यक है जो कि सी0 पी0 सी0 के नियम 5 एवं 6 में निर्धारित है। एक न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है जो किसी भी पक्ष के आवेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर मुकदमे के किसी भी चरण में और पार्टियों के बीच किसी अन्य प्रश्न के निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना ऐसा कर सकता है। ऐसी स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए वह आदेश दे सकता है या ऐसा निर्णय दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

16. इस प्रकार, प्रवेश की प्रकृति के लिए 'हो सकता है' और 'जैसा उचित समझे' शब्द का उपयोग करने से विधायी मंशा स्पष्ट होती है। उक्त शक्ति विवेकाधीन है जिसका प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब तथ्यों और दस्तावेजों की विशिष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट स्वीकृति रिकॉर्ड पर हो, अन्यथा न्यायालय आदेश XII नियम 6 की शक्ति को लागू करने से इनकार कर सकता है। एक प्रावधान इस आशय से लाया गया है कि यदि एक पक्ष द्वारा उठाए गए तथ्यों को दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और न्यायालय स्वीकारोक्ति की प्रकृति से संतुष्ट है, तो पार्टियों को पूर्ण सुनवाई के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और निर्णय और आदेश दिया जा सकता है। बिना कोई सबूत लिए निर्देशित किया। इसलिए, न्यायालय और संबंधित पक्षों के समय और धन को बचाने के लिए, उक्त प्रावधान क़ानून में लाया गया है। उपरोक्त चर्चा के अनुसार, यह स्पष्ट है कि प्रवेश पर निर्णय पारित करने के लिए, न्यायालय यदि उचित समझे तो मुकदमे के किसी भी चरण में आदेश पारित कर सकता है। यदि न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया जाता है तो तदनुसार एक डिक्री तैयार की जाएगी और मामले के पक्षों को सुनवाई के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

17. नियम 7, 8 और 9 में हस्ताक्षर के शपथ पत्र, दस्तावेज प्रस्तुत करने के नोटिस और लागत के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनका वर्तमान मामले के तथ्यों से अधिक प्रासंगिकता नहीं हो सकती है, इसलिए इसमें विस्तार से चर्चा नहीं की गई है।

18. प्रवेश पर निर्णय पारित करने के न्यायालय के विवेक के मुद्दे पर, एस.एम. के मामले में इस न्यायालय की तीन– न्यायाधीशों की पीठ **आसिफ बनाम वीरेंद्र कुमार बजाज – (2015) 9 एससीसी 287** ने 'हो सकता है' शब्द का उपयोग करने के विधायी इरादे को स्पष्ट कर दिया है जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि सीपीसी के आदेश XII नियम 6 के तहत शक्ति विवेकाधीन है और अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। उक्त मामले में, प्रतिवादी– मकान मालिक द्वारा अपीलकर्ता– किरायेदार के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दायर किया गया था। किरायेदारी के संबंध को लीज समझौते की अवधि सहित स्वीकार किया गया था। वादी के दावे का प्रतिवादी ने यह दलील देकर विरोध किया कि विचाराधीन संपत्ति एक समझौते और रुपये की अग्रिम राशि द्वारा 82,50,000/– का भुगतान किया गया और बेचने पर सहमति हुई थी। प्रतिवादी ने बचाव पक्ष के दौरान इस बात से दृढ़ता से इनकार किया कि प्रतिवादी/ वादी बिक्री समझौते में प्रवेश करने के बाद भी मकान मालिक बना हुआ है। विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा भी दायर किया गया था, जिसका वादी ने निश्चित रूप से विरोध किया

था। उक्त मामले में, इस न्यायालय का विचार था कि ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए साक्ष्य की सराहना की आवश्यकता होती है। केवल मकान मालिक और किरायेदार का संबंध सीपीसी के आदेश XII नियम 6 के तहत मुकदमे को डिक्री करने के लिए एक स्पष्ट स्वीकृति नहीं कहा जा सकता है। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को रद्द करते हुए मामले को ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया, बशर्ते कि बकाया किराया जमा किया जाए और मुकदमे के परिसर के कब्जे के उपयोग के लिए मुआवजा दिया जाए। ऐसी जमा राशि निष्कासन के अंतिम परिणाम के साथ– साथ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा के अधीन थी।

19. उक्त कानूनी स्थिति के संदर्भ में, वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि पहला लीज समझौता 07.08.2011 को एक सूट परिसर के 1,17,000/– रुपये के मासिक किराए पर निष्पादित किया गया था।. उक्त लीज समझौता जुलाई 2013 में समाप्त होने वाली 02 वर्षों की अवधि के लिए था। पार्टियों की सहमति से विस्तारित लीज समझौता दिनांक 07.08.2013 को 11 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए 1,50,000/– रुपये के मासिक किराए अगले एक वर्ष के लिए किराये की राशि में 30% की अनुमानित वृद्धि के साथ निष्पादित किया गया था। । माना जाता है कि, विस्तारित लीज अवधि की समाप्ति के बाद किराए का भुगतान न करने के कारण लीज को समाप्त करने के लिए बेदखली का नोटिस जारी किया गया था, जो प्रतिवादी द्वारा भुगतान के लिए देय है। बेदखली का मुकदमा 18.05.2018 को कब्जे (मकान मालिक– किरायेदार संबंध के आधार पर), किराए के बकाया, मेस्ने प्रॉफिट और पेंडेंट लाइट के लिए दायर किया गया था। उक्त मुकदमा प्रतिवादी द्वारा लड़ा गया था जिसमें स्वामित्व से इनकार नहीं किया गया था। पहले लीज एग्रीमेंट दिनांक 07.08.2011 और विस्तारित लीज एग्रीमेंट दिनांक 07.08.2013 के निष्पादन से भी इनकार नहीं किया गया। प्रतिवादी द्वारा लीज समझौते के संदर्भ में मासिक किरायेदारी और किराए के भुगतान से भी इनकार नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने बचाव में कहा है कि अमलोह में उसकी संपत्ति वादी को बेचने पर सहमति हुई थी, जिसके तहत **एटीएस– II दिनांक 25.05.2017** को निष्पादित किया गया था। इसके अलावा प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि, **एटीएस– III दिनांक 30.12.2017** को विचाराधीन कुछ समायोजन के बाद निष्पादित किया गया था, इसलिए प्रतिवादी ने तर्क दिया कि मुकदमे की संपत्ति के संबंध में रुपये की राशि 3,60,00,000/–, बेचने के लिए तीन समझौतों के निष्पादन के कारण मकान मालिक– किरायेदार का संबंध समाप्त हो गया और प्रतिवादी ने मालिक का दर्जा हासिल कर लिया क्योंकि वह पहले ही लीज समझौते के तहत संपत्ति के कब्जे से अलग हो चुका है।

20. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने **आर. कंथिमथी (सुप्रा)** के फैसले पर भारी भरोसा जताया है। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है कि दो व्यक्तियों के बीच कोई भी समझौता एक न्यायिक संबंध के माध्यम से बनाया जा सकता है और इसी तरह कानून के तहत सीमाओं के अधीन एक समझौते के माध्यम से बदला भी जा सकता है। हालाँकि, यह आग्रह किया जाता है कि पट्टा समझौते के बाद मकान मालिक द्वारा **एटीएस–I** पर हस्ताक्षर करने पर अपीलकर्ता का रिश्ता अब क्रेता में बदल गया है, इसलिए मकान मालिक और किरायेदार का रिश्ता समाप्त हो जाता है। **हिमानी अलॉयज लिमिटेड** (सुप्रा) के फैसले पर भी भरोसा किया गया है और अपीलकर्ता द्वारा आग्रह किया गया है कि यदि स्वीकारोक्ति कथित राशि की नहीं है और स्पष्ट और स्पष्ट नहीं है, तो **आदेश XII नियम 6** के तहत डिक्री का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।. **हरि स्टील (सुप्रा)** का मामला इस तर्क पर भी भरोसा किया गया है कि **आदेश XII नियम 6** के तहत राहत विवेकाधीन है और न्यायालय

को प्रतिवादी के मुकदमे को लड़ने के मूल्यवान अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि विवेक का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब स्पष्ट और बिना शर्त प्रवेश हो। ऐसे अधिकार का प्रयोग प्रतिवादी के बचाव के आधार पर दावे का मुकाबला करने के मूल्यवान अधिकार से इनकार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, **श्रीमंत शानराव सूर्यवंशी (सुप्रा)** के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि जब संपत्ति हस्तांतरण **अधिनियम, 1882 की धारा 53** के तहत निर्धारित बेचने के समझौते के आंशिक प्रदर्शन के आधार पर कोई कब्जा अपीलकर्ता के पास है, उसे अपने कब्जे की रक्षा या रक्षा करने का अधिकार है।

21. दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने अन्य बातों के साथ– साथ **नागिनदास रामदास (सुप्रा)** के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि यदि स्वीकारोक्ति सत्य और स्पष्ट है तो स्वीकार किए गए तथ्य का सबसे अच्छा सबूत है। यह भी कहा गया है कि साक्ष्य **अधिनियम, 1872** की धारा 58 के तहत स्वीकार्य दलीलों या न्यायिक स्वीकारोक्ति में पक्षकारों या उनके एजेंटों द्वारा मामले की सुनवाई के समय या उससे पहले की गई स्वीकारोक्ति साक्ष्य संबंधी स्वीकारोक्ति की तुलना में उच्च स्तर पर है। यह बाध्यकारी है और सबूत की छूट का गठन करता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि **आर कंथिमथी (सुप्रा)** का निर्णय वर्तमान मामले से अलग है। उक्त मामले में, समझौते की शर्तों का उल्लेख करने के बाद यह दर्शाया गया कि बिक्री पर विचार की बड़ी राशि का भुगतान किया गया था और केवल रु. 5,000/– का भुगतान करना शेष था। इसके अलावा, संपत्ति का कब्ज़ा भी हस्तांतरित कर दिया गया था, इसलिए, अदालत ने कहा कि व्यक्तियों के बीच न्यायिक संबंध कानून के तहत सीमाओं के अधीन, बाद के समझौते के माध्यम से बदल दिए गए थे। जबकि वर्तमान मामले में **ATS– I** 22.04.2017 को निष्पादित किया गया था। उक्त समझौते के खंड 2 में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था "हालांकि, पहले पक्ष को कोई अग्रिम–बयाना 3,60,00,000/– रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया है", और अपीलकर्ता किरायेदार के रूप में लीज समझौते के तहत कब्जे में था। अपील की पेपरबुक के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़ अनुलग्नक पी–1 (बिक्री और खरीद के लिए अग्रिम रसीद– सह समझौता) एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसे निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार, दिनांक 07.10.2021 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि उक्त दस्तावेज़ को इस मामले की पेपरबुक से हटा दिया जाए। उक्त अंतर को ध्यान में रखते हुए यह आग्रह किया गया कि **आर. कंथिमथी (सुप्रा)** का निर्णय अपीलकर्ता के लिए कोई मदद नहीं है।

22. जो भी हो, दोनों पक्षों की ओर से दलीलें आगे बढ़ीं। हमारे विचार में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने की सराहना की जा सकती है। दलीलों के अनुसार, लीज समझौते के निष्पादन, किराए की दर और मासिक भुगतान की सीमा तक प्रवेश हो सकता है लेकिन साथ ही प्रतिवादी द्वारा लिया गया बचाव भी **एटीएस– I, II और III** पर आधारित है। उन समझौतों की सामग्री और उनमें निर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता/प्रतिवादी द्वारा लिया गया बचाव प्रशंसनीय है या नहीं यह परीक्षण का विषय है जिसे संबंधित पक्षों द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर देने के बाद न्यायालय द्वारा सराहना की जा सकती है। पट्टा समझौतों के अनुसार किरायेदारी के संबंध में प्रवेश हो सकता है, लेकिन किए गए बचाव पर भी न्यायालय द्वारा गौर किया जाना आवश्यक है और पूर्ण परीक्षण द्वारा बचाव की न्यायसंगतता तय करने की आवश्यकता है। हमारे विचार में, **आदेश XII नियम 6** के प्रयोजन के लिए, उक्त स्वीकारोक्ति स्पष्ट और श्रेणीबद्ध नहीं है, ताकि प्रतिवादी द्वारा लिए गए बचाव से निपटे बिना न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि

इस न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी किसी भी पक्ष की योग्यता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए, हम किरायेदारी के मुद्दे पर या प्रतिवादी द्वारा किए गए बचाव के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं कर रहे हैं। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि क्या **सीपीसी के आदेश XII नियम 6** के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित निर्णय और डिक्री स्पष्ट और स्पष्ट स्वीकृति पर आधारित है। **आसिफ़ (सुप्रा)** पूरी तरह से समान हैं, इसलिए, उक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले पर सही रूप से लागू होता है। नतीजतन, सीपीसी के **आदेश XII नियम 6** के तहत शक्ति के प्रयोग में बचाव पर विचार किए बिना केवल तथ्य की स्वीकृति पर, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, को रद्द कर दिया गया है। मुकदमे को जल्द से जल्द तय करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया जाता है, जिससे पक्षों को साक्ष्य दर्ज करने का उचित अवसर मिलता है, जिसे योग्यता के आधार पर न्यायालय द्वारा सराहा जाएगा।

23. वर्तमान मामले में, किरायेदार ने दिनांक 01.12.2017 से मकान मालिक–किरायेदार रिश्ते पर आधारित मुकदमे में किराए की कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। एस.एम. के निर्णय से पुष्ट होता है कि दिनांक 07.07.2014 को न्यायालय के आदेश के अनुसार किराया और बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। जैसा कि लीज एग्रीमेंट दिनांक 07.08.2011 और विस्तारित लीज एग्रीमेंट दिनांक 07.08.2013, जो विवाद में नहीं हैं और विस्तारित लीज एग्रीमेंट, जो एक वर्ष के लिए था, द्वारा वर्ष 2013–2014 के लिए किराए में 30% की वृद्धि की गई थी, प्रतिवादी ने आज तक कोई किराया नहीं दिया है, जबकि 7 वर्ष से अधिक की अवधि बीत चुकी है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि विस्तारित लीज समझौते द्वारा स्वीकृत तथ्य और किराए के प्रतिशत में वृद्धि के संदर्भ में, ट्रायल कोर्ट पहले वर्ष– दर– वर्ष आधार पर उक्त वृद्धि को लागू करते हुए मासिक किराए के बकाया भुगतान के साथ– साथ नियमित मासिक किराया जमा करने के मुद्दे पर फैसला करेगा और उचित आदेश पारित करेगा। उक्त भुगतान वर्तमान मुकदमे के निर्णय के साथ– साथ अपीलकर्ता द्वारा दायर समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के मुकदमे के अधीन हो सकता है।

24. परिणामस्वरूप, इस अपील को यहां ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया जाता है।

अपील की अनुमति.

Translated by

(Kashika M. Prasad)